



5571

दूरभाष - 2286709  
2286710

नव चौताला केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ 220001

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : ४५६८ / ०५ / ७६ / एफ / २०१५-१६  
सेवा में,

दिनांक: २७ फरवरी 2016

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,  
जिला नगरीय विकास अभिकरण  
जनपद-मऊ।

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूडा द्वारा छुड़ा को प्रेषित की गयी धनराशि की सूचना का प्रेषण।  
महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को आईएएसडीपी योजनान्तर्गत निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि आन्तरित की जा चुकी है।

धनराशि का प्रेषण (लाख रु० में)					
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएएससी कोड	धनराशि		
राज्य बैंक ऑफ इंडिया	433802011001024	UBIN0558605	775.950		
जनपद का नाम	अनुदान संख्या	आवास संख्या	प्रश्नगत परियोजनाओं में शासन से प्राप्त धनराशि के सापेक्ष वर्किंग कास्ट/लेवर सेस/अग्रिम का समायोजनोपरान्त धनराशि का प्रेषण		
मऊ	अनु० ८३/३७ पीएलए०/३७ बजट	479/ 374	वर्किंग कास्ट 759.590	लेवर सेस 16.360	कुल 775.950
		योग	759.590	16.360	775.950
				अग्रिम का समायोजन 0.000	प्रेषित की जा रही धनराशि 775.950

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय आईएएसडीपी योजनान्तर्गत सम्बन्धित मूल्यवृद्धि की ढीपीआर के साथ पठित पीएफएडी तथा भारत सरकार के द्वारा जारी स्वीकृतियों में वर्णित मद्दों पर ही किया जाय जिनके लिये धनराशि स्वीकृत की गयी है। परियोजना की ढीपीआर में स्वीकृत दरों एवं कार्य की भौतिक प्रगति को दृष्टिगत रखते हुये ही कार्यदायी संस्था को तदनुसार धनराशि दी जाय तथा यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि जितनी धनराशि कार्यदायी संस्था को दी गई है उसके सापेक्ष भौतिक प्रगति भी होनी चाहिए। उपरोक्त मद के अतिरिक्त अन्य किसी मद में व्यय करना और दिशा निर्देशों का अनुपालन न करना वित्तीय अनियंत्रितता की श्रेणी में आयेगा। किसी भी दशा में कोई व्ययवर्तन अनुमत्य न होगा। उक्त परियोजना प्रत्येक दशा में माह दिसम्बर 2016 तक पूर्ण की जानी है तदोपरान्त भारत सरकार को प्रश्नगत परियोजना की कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किये जाने हैं, ऐसी स्थिति में उक्त धनराशि कार्यदायी संस्था को प्राथमिकता पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में अग्रेतर कोई भी मूल्यवृद्धि यदि होती है तो उसका उत्तरदायित्व जनपद का होगा। प्रश्नगत धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व छुड़ा द्वारा एम०ओ०य० कार्यदायी संस्था से करना होगा जिसमें निम्न बिन्दुओं का उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा:-

- समरत कार्य मूल्यवृद्धि की ढीपीआर के आधार पर प्राथमिकता पर पूर्ण करने होंगे।
- मार्च 2017 तक प्रत्येक दशा में उपयोगिता प्रमाण पत्र सूडा मुख्यालय को उपलब्ध कराने होंगे।
- इस मूल्यवृद्धि के बाद पुनः किसी प्रकार की मूल्यवृद्धि देय नहीं होगी।
- उपलब्ध स्वीकृत धनराशि से समरत निर्माण कार्य पूर्ण करने होंगे।



५३७/२

दृष्टिगत 2206709

2206710

नव योगना कम्प्लेक्स, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

## राज्य नगरीय विकास अभियान, उ.प्र.

- 5- निर्माणाधीन आवास निर्माण पर लाभार्थी अंशदान संबंधित दसां पर ढूड़ा द्वारा कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराया जायेगा लाभार्थी अंशदान न उपलब्ध कराये जाने की दशा में उतनी लागत का कार्य कायदायी संस्था द्वारा छोड़ दिया जायेगा जैसाकि पूर्व में निर्देश निर्गत किये गये हैं।
- 6- कार्य पूर्ण होने के उपरान्त केन्द्र/राज्य सरकार के निर्देशानुसार परियोजना की कलोजर रिपोर्ट अभियान मुख्यालय को ढूड़ा के माध्यम से उपलब्ध करानी होगी।
- 7- सुजित की गई परिसम्पत्तियों का स्थानान्तरण सम्बन्धित नगर निकाय (यूएलओ) को करना होगा और उक्त का प्रगाण पत्र सूडा को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा।

भवदीय  
(लाल प्रताप सिंह)  
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभियान, सम्बांधित जनपद।
2. परिव विकास एवं सम्बन्धक, सी0एण्ड डी0एस०, ढूड़ा इकाई-सम्बन्धित जनपद।
3. परियोजना अधिकारी-सूडा
4. कम्प्यूटर रोल/लेखा विभाग-सूडा।

(लाल प्रताप सिंह)  
वित्त नियन्त्रक